



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-60

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 269422 दिनांक 01/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	--------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Ankur Agrawal S/o RAJKUMAR AGRAWAL	श्री नरेश कुमार तोलानी पुत्र श्री जानकी प्रसाद तोलानी	55	83.60 SQ. METER	Private	AANANDAM Sector/Block-	Name Transfer	आवेदक श्री अंकुर अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल द्वारा निजी खातेदारी की योजना आनन्दम् के आवासीय भूखण्ड संख्या 55 क्षेत्रफल 83.60 व0मी0 का नाम हस्तान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा क्रमांक 119 दिनांक 02.10.2021 के द्वारा श्री नरेश कुमार तोलानी पुत्र श्री जानकी प्रसाद तोलानी के नाम जारी किया गया था। लीजधारक श्री नरेश कुमार तोलानी द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.10.2022 के द्वारा श्री सुरेश जाट पुत्र श्री राम करण जाट को विक्रय किया गया है। तत्पश्चात श्री सुरेश जाट द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.09.2025 के द्वारा श्री अंकुर अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल को विक्रय किया गया है।
---	---	---	----	--------------------	---------	-------------------------------	------------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ankur Agrawal S/o RAJKUMAR AGRAWAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।